**संख्या-08/2020/64/22-4-2020-133(ब)/98**

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 20 फरवरी, 2020

विषय- नवसृजित जनपद हाथरस में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30679/नम-1/200, दिनांक-09.10.2019 एवं पत्र संख्या-1765/नम-3/2019-20, दिनांक-17.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-40/2019/452/22-4-19-133(ब)/98, दिनांक-01.08.2019 द्वारा नवसृजित जनपद हाथरस में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम-बिछिया, तहसील व जनपद हाथरस की चयनित काश्तकारों की 25.491 हे0 भूमि के क्रय हेतु रू0-59,17,14,821/- (रूपया उनसठ करोड़ सत्रह लाख चौदह हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0-8,75,87,950/- (रूपया आठ करोड़ पचहत्तर लाख सत्तासी हजार नौ सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नवसृजित जनपद हाथरस में जिला कारागार के निर्माण के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-50,41,26,871/- (रूपया पचास करोड़ इक्तालिस लाख छब्बीस हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
(3) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 का होगा।
(4) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31.03.2020 तक कर लिया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-27-जनपद हाथरस में कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद में अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या-ई0-12-403/दस/2020, दिनांक-17 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमत से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-08/2020/64(1)/22-4-2020-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार( लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, हाथरस।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।